लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 14/2016

1. श्री मांगीनाथ पुत्र श्री केसरनाथ
2. श्री मोहन नाथ
3. श्री लक्ष्मणनाथ
   पुत्रगण श्री धन्नानाथ
4. श्री बाबूनाथ पुत्र श्री केसरनाथ
   समस्त जाति जोगी निवासीगण ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्री ताराचंद उर्फ पप्पू पुत्र श्री बाबू पौत्र श्री धन्ना।
2. श्रीमति प्रेम पत्नी श्री बाबू पुत्रवधू श्री धन्ना।
3. श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री बाबू पौत्र श्री धन्ना समस्त जाति रेगर निवासीगण मकान नम्बर 243 केसरी कॉलोनी, बालूपुरा, आदर्शनगर, तहसील व जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।
5. श्री राधाकिशन पुत्र श्री सुजान जाति ढोली निवासी ग्राम ढ़ाल तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

उपस्थितः **1.** श्री निर्मल कुमार जैन, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री महेन्द्र चौहान, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. श्री सीताराम रावत, वकील अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से।
4. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

—: आदेश :—

दिनांक 17.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 22.11.1975 को ग्राम पंचायत तिलाना में

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर आवंटन अधिकारी द्वारा श्री धन्ना पुत्र श्री बींजा जाति रेगर निवासी ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के पक्ष में अन्य कृषि भूमियों के साथ ही ग्राम तिलाना के आराजी खसरा नम्बर 1002 रकबा 3 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के दादा के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के दादा के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन अधिकारी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन योग्य भूमि के संदर्भ में न तो कोई सूची बनाई गई तथा न ही कोई उद्घोषणा जारी की गई, जबकि विवादित भूमि को प्रार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश के पूर्व से एवं आज दिवस तक मौके पर भारी सुधार विकास कर समय–समय पर काश्त की जाती रही है। उन्होंने हमारा ध्यान खसरा गिरदावरी संवत् 2023 से 2026 एवं 2025 की ओर आकर्षित किया कि तिल की काश्त, संवत् 2026 में बाजरा की काश्त दर्ज है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा अपने जीवन काल में विवादित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई जो खसरा गिरदावरी संवत् 2035 से 2038, संवत् 2039–42, सवंत् 2043 से 2046 व संवत् 2051 से 2054 से स्पष्ट है। विवादित भूमि लगातार पड़त दर्ज है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि आवंटित भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 1002 से लगता हुआ चाह खसरा नम्बर 1407 की डुण्डी खेली कोठा सीमेन्टेड धोरा लम्बे समय से स्थापित है तथा उसके लगते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसके वर्तमान आधार जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 1415, 1414, 1411, 1396, 1397 एवं 1398 है तथा विवादित भूमि का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा पुश्तैनी समय से किया जाता रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पशुओं को रखने, एवं चराई के उपयोग में ली जाती रही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के चाह एवं खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु एकमात्र कदीमी समय से रास्ता है का भी उपयोग लिया जाता रहा है। उन्होंने कथन किया कि आवंटी धन्ना पुत्र बींजा सद्भाविक कृषक नहीं था तथा उनके जीवन में उसने कभी खेती का कार्य नहीं किया तथा न ही वे ग्राम तिलाना के निवासी रहे बल्कि आवंटी एवं उनके वारिस कदीमी समय से केसरिया कॉलोनी आदर्शनगर अजमेर के निवासी है, अतः उनके पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन बाबत्

Scanned by CamScanner

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्ण जांच पश्चात् विधिक प्रक्रिया के तहत अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में विधिवत विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो मिथ्या कथन कर तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् नियम 14(4) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति की खातेदारी निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner